राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घनश्याम बनाम राधेश्याम 359/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो |	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वाके ग्राम सिण्डोली पटवार हल्का बाला की नांगल भू. अभि. नि. फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 सामलाती हिस्सा 1/3 के भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार है तथा शेष आराजी के अन्य प्रतिवादीगण अनुसार भू अभिलेख खातेदार काश्तकार है । रेस्पाडेन्ट संख्या 1 अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर मुतदाविया आराजीयात का बिना विभाजन करवाये कृषि भूमि पर निर्माण करते हुये अकृषि भूमि में परिवर्तन करने पर आमदा फिसाद है तथा अपीलार्थी को बेदखल करने पर आमादा फिसाद है तथा अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र में दिनांक 27-09-2016 को वाद पत्र के अभिवचनो में वाद कारण दर्ज करते हुये मुतदाविया आराजीयात का कब्जे काश्त के मध्य नजर मिटस एण्ड बाउण्ड में विधिक विभाजन करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया | अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 28-09-2016 को प्रतिवादीगण की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण ने बाद तलबी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना वादोत्तर मय काउन्टर क्लेम पेश किया | दिनांक 24-05-2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मुतदाविया आराजीयात बाबत प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाते हुये प्रकरण में प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की गई । प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी करते हुये प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 30-06-2017 मुकरर की गई | रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त प्राथमिक निर्णय डिक्री आदेश के विरूद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही कर दिनांक 27-06-2017 को एक पुनरार्वलोकन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प मे पारित आदेश दिनांक 24-05-2017 को अपास्त करते हुये पत्रावली वास्ते पक्षकारान की सुनवाई हेतू दिनांक 28-08-2017 को	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घनश्याम बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	359/2021	

वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 तथा 8 वास्ते मुकर्रर की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये दिनांक 30-01-2018 को बटवारे के वाद में बिना प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी किये बिना ही पत्रावली वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू मुकर्रर फरमा दी गई तथा पत्रावली दिनांक 27-04-2018 को वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट 25-05-2018 मुकर्रर की गई तथा फत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार ग्रामः फाल्यावास पर पक्षकारान को सुनवाई वास्ते मुकर्रर की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत कैम्प में पक्षकारान की उपस्थिति फर्द अहकाम पर दर्ज कराते हुये निर्णय डिक्री दिनांक 09-05-2018 को पारीत की गई। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 544/2018 बउनवानी घनश्याम बनाम राधेश्याम प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05-08-2019 को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान का जवाब दावा ग्रहण कर उचित तनकियात कायम कर साक्ष्य ग्रहण करते हुये, सम्यक एंव युक्तियुक्त कारण सहित तनीवार निर्णय पारित करने वास्ते अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रेषित की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की और से काउंटर क्लेम पेश किया गया, जिसका जवाब वादी द्वारा पेश किया गया , जिसके पश्चात शेष प्रतिवादीगण के उपस्थित होने पर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर प्रतिवादी की साक्ष्य-सबूत हेतु पत्रावली नियत की गयी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित अधिवक्ता की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2021 पारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	घनश्याम बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	359/2021	

एवं मौखिक साक्ष्यो को विस्तृत रूप से विवेचित किये बगैर ही तनकीयात को तय करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | कानूनन मौखिक साक्ष्यो को भी विस्तृत रूप से विवेचित किया जाना आवश्यक होता है | किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात को तय करने में विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किया गया विवेचन अपूर्ण जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन करते हुये तनकीयात को तय कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2021 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो के आधार पर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 359/2021 आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |